न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 04/2019

अपीलान्ट **बनाम** **रेस्पोडेन्ट :–**

1. अखे सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह, जाति ठाकुर निवासी वासड़ा तहसील आबुरोड, जिला सिरोही
2. अर्जुन सिंह पुत्र श्री ओब सिंह, जाति ठाकुर, निवासी वासड़ा, तहसील आबूरोड़, जिला सिरोही

1. राजस्थान सरकार जरिये औधोगिक विकास निगम(RIICO) जरिये क्षैत्रिय प्रबन्धक, रिक्को कार्यालय, रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया आबूरोड, तहसील आबूरोड, जिला सिरोही
2. नगर सुधार न्यास, आबु जरिए अध्यक्ष नगर सुधार न्यास आबु, आकराभटटा आबुरोड तहसील आबुरोड जिला सिरोही
3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार महोदय आबूरोड़, तहसील आबूरोड, जिला सिरोही।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री ऋषि माथुर, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री दिनेश कुमार सुराणा, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 12/12/2022

अपीलान्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर आबूपर्वत द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2019 बउनवान अखे सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2019 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट के कब्जे काश्त और हक अधिकार की कृषि भूमि ग्राम वासडा तहसील आबूरोड जिला सिरोही के खसरा संख्या 604 कुल रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा में से 15 बिस्वा कृषि भूमि पर अपीलाण्ट का गत 30 वर्षो से भी अधिक समय से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमि से लगते खसरा संख्या 557, 603 और 735 की कृषि भूमि स्थित है। खसरा संख्या 604 की 15 बिस्वा कृषि भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त पिछले 30 वर्षो से भी अधिक समय से बिना रूकावट एवं शान्तिपूर्वक तरिके से चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमि पर रेस्पोडेण्ट संख्या 03 की ओर से धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत अपीलाण्ट को समय समय पर नोटिस प्रेषित होते रहे है। अपीलाण्ट ने उक्त कृषि भूमि के खातेदारी का एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। अपीलाण्ट के कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 604 से लगते रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने अपीलाण्ट के कब्जे काश्त कृषि भूमि खसरा संख्या 603 में जबरन शामिल करने की बदनियति से दोनो भूमियो के बीच स्थित कई वर्षो पूर्व बनी पुरानी दीवार को ध्वस्त कर दिया है। अपीलाण्ट की कब्जे काश्त की भूमि को रिको की भूमि में सम्मिलित करने और उस पर विधि विरूद्ध तरीके से नई दीवार निर्माण के लिए रेस्पोडेण्ट संख्या 01 प्रयास कर रहे है। यदि रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल कर दिया तो अपीलाण्ट को बहुविवाद से उलझना पडेगा। इस हेतु अपीलाण्ट ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसमें पक्षकारो की बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के निवेदन को अस्वीकार किया, अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली का समुचित विवेचन नहीं किया है। अपीलाण्ट का उक्त कृषि भूमि पर प्रतिकुल कब्जे के सिद्धान्त के आधार पर खातेदार कृषक विधि में बन चुके है। धारा 63(1) (4) व धारा 214 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व संपठित धारा 27 भारतीय अवधि अधिनियम की मंशा से वादग्रस्त कृषि भूमि के रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के राईट टाईटल एवं इन्ट्रस्टेट समाप्त कर Law of Prescription से अपीलाण्ट ने Acquire कर लिये है और अपीलाण्ट खसरा संख्या 604 की 15 बिस्वा कृषि भूमि के खातेदार कृषक विधि में बन चुके है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के कर्मचारी और अधिकारी अपीलाण्अ के खसरा संख्या 604 की उक्त 15 बिस्वा भूमि अवैध रूप से कब्जा करना चाहते है। उक्त भूमि को रिको की भूमि में शामिल करना चाहते है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये आवश्यक है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाली कैम्प-सिरोही

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने किसी भी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 का कब्जा खसरा संख्या 603 की भूमि पर है एवं खसरा संख्या 603 व 604 को विभेदित करते हुए दीवार का निर्माण किया जा चुका है। अपीलाण्ट को रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है।

रेस्पोडेण्ट संख्या 02 ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि खसरा संख्या 604 की भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 02 के नाम राज्य सरकार के आदेशानुसार दिनांक 04.12.2009 को राजस्थान राजपत्र में राजस्थान नगर सुधार न्यास(साधारण) नियम–3 के अन्तर्गत आबूरोड के नगरीय क्षेत्र में 27 गांवो को सम्मिलित किये जाने से नामान्तरण संख्या 719 दिनांक 15.04.2013 को उक्त नम्बर सहित किता 125 रकबा 765.19 बीघा दर्ज रेकर्ड हुआ है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि से अपीलाण्ट का कोई सरोकार नहीं है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। जैर अपील वादस्थ भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज होकर खाता संख्या 1 में दर्ज है। यदि अपीलाण्ट उक्त भूमि पर किसी भी रूप में काबिज है, तो वह अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिसे विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में विधि विरूद्ध माना है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात् के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी मौजा वासडा खसरा संख्या 604 कुल रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा में से 15 बिस्वा की खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2019 को अंतरिम आदेश पारित किया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 604 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा गै. मु. खाल खद्दर नगर सुधार न्यास

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

आबू की खातेदारी में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपीलाण्ट द्वारा कोई साक्ष्य, दस्तावेज पेश नहीं किए जिससे अपीलाण्ट का कब्जा प्रमाणित हो। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलेक्टर आबूपर्वत द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2019 बउनवान अखे सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2019 को यथावत रखा जाता है। सहायक कलेक्टर आबूपर्वत को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 03/2019 के संबंध में पक्षकारान को सुनकर विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए 30 दिवस के भीतर निर्णय पारित करे। इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12/12/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही